कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर

क्रमांक:संनि/स्कूशि/जय/संस्था–2/एफ–नियु/व0अ0संस्कृत/भ.व.2016/2023 दिनांक 21.07.2023

पदस्थापन परामर्श सूचना (Councelling for Posting information)

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन पश्चात नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउन्सलिंग सूचना

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे./2016 दिनांक 18.07.2023 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2016 विषय संस्कृत में निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व प्रतीक्षा सूची से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन पश्चात नियुक्ति/पदस्थापन हेतु जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाएगा :–

परामर्श कैम्प स्थल :– कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग जयपुर
भूतल, ब्लॉक नं. 3, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्र.सं.	पद	दिनांक	पंजीयन समय	काउंसलिंग समय
1	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	**24.07.2023**	प्रातः 11.00 से 11.30	पंजीयन उपरान्त

यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी वरीयता इत्यादि के संबंध में कोई दस्तावेज/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह काउंसलिंग दिवस को रजिस्ट्रेशन के समय प्रातः 11.00 बजे से 11.30 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। **विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा।** सम्बन्धित कार्मिक निर्धारित परामर्श तिथि को निर्धारित कैम्प स्थल में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची विभागीय वेबसाईट/कार्यालय परिसर में काउंसलिंग से पूर्व प्रदर्शित कर दी जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.21 17:36:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4351789

काउंसलिंग हेतु वरीयता सूची का निर्धारण निम्न बिन्दुओं पर किया जायेगा :—

क्रम	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन
A.	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र
B.	विधवा महिला अभ्यर्थी	पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र (रू. 50 के स्टाम्प पेपर पर)
	परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री के साथ आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र (रू. 50 के स्टाम्प पेपर पर)
C.	महिला अभ्यर्थी	——
D.	अन्य शेष अभ्यर्थी	——

उक्तानुसार प्राथमिकता से संबंधित अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिंग दिवस को ही प्रातः 11.30 बजे तक काउंसलिंग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज (मूल एवं छाया प्रति) अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों।

1. फोटोयुक्त पहचान आई.डी.मूल एंव फोटो प्रति
2. स्वयं अभ्यर्थी के 2 पासपोर्ट साइज फोटो
3. समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक दस्तावेज मूल एवं स्वप्रमाणित फोटो प्रति तथा अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गए हों अथवा विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तों इत्यादि से संबंधित हों मूल एवं स्वप्रमाणित फोटो प्रति
4. आरक्षण संबंधित दस्तावेज (अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए)

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित हों।

(योगेश चन्द शर्मा)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Yogesh Chandra Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.21 17:36:03 IST
Reason: Approved